



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार,
संख्या: 15 / लो0स0प0-2010 / अतिगोपन-2 / 2012
हरिद्वार : दिनांक : 18 अप्रैल, 2012

विज्ञप्ति (संशोधित)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2011 को आयोजित सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा- 2010 के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षाफल विज्ञप्ति संख्या-08 / लो0स0प0-2010 / अतिगोपन-2 / 2011 दिनांक-15, अप्रैल 2012 द्वारा घोषित किया गया था। उक्त परीक्षाफल में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को भी गन्ना विकास निरीक्षक / ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (कृषि स्नातक) पद के लिये मुख्य परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया जाता है-

120112	120292	120473	159078	159527	159710	159840
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

उक्त परीक्षाफल को आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर देखा जा सकता है।

नोट: 1- उक्त परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा उनके ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्रों में किये गये दावों यथा स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि से सम्बन्धित दावे के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित का अभिलेखों से परीक्षण किया जाना अवशेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षाफल पूर्णतः औपबन्धिक है। मुख्य परीक्षा के पूर्व समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

2- उक्त परीक्षाफल मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-1017/2011 (एस0/एस0) मनोज कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-1018/2011 (एस0/एस0) दिग्विजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, तथा रिट याचिका संख्या- 1503/2011(एस0/एस0) शिव प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।


(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव।